FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी खाजूवाला मुकाम खाजूवाला

चम्पालाल बनाम सुरजाराम वगै.

किस्म मुकदमा :–प्रार्थनापत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट

मु.नं. एवं सन 47 / 19

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस तामील में जारी हुए
20-01-23	पत्रावली पेश हुई। बहस सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि पत्रावली में प्रतिवादीगण का एकबार जवाब बंद के बाद पुनः माननीय न्यायालय द्वारा अवसर देने के बाद भी जवाब पेश नहीं करने पर प्रतिवादीगण का जवाब पत्रावली में पुनः बंद हो चुका है। प्रतिवादीगण का स्थगन से कोई नुकसान नहीं है इसका अनुमान प्रतिवादीगण की ओर से पत्रावली में की गई चाराजोही / पैरवी से लगाया जा सकता है किन्तु यदि वादपत्र के अंतिम निस्तारण तक स्थगन नहीं रहता है तो प्रतिवादीगण पारिवारिक समझौते एवं बंटवारे अनुसार वादी के हिस्से में आई कब्जा काश्त भूमि का विक्रय कर देगें जिससे नये पक्षकार आ जाने से विवाद की स्थिति बनकर ओर ज्यादा मुकदमेबाजी बढ़ेगी। वादगत भूमि पुश्तैनी भूमि है व पारिवारिक बंटवारा अनुसार कब्जा काश्त में है इसलिए यदि मूल वाद के निस्तारण तक स्थगन नहीं होता है तो कानूनी पेचीदगियां बढ़ेगी और अपूर्तिनीय क्षति होगी। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे प्रार्थनापत्र स्वीकार कर ताःफैसला स्थगन आदेश फरमाने का निवेदन किया है। अप्रार्थीगण अधिवक्ता ने स्थगन प्रार्थनापत्र खारिज करने का निवेदन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज अवलोकन, अध्ययन व बहस पर मनन किया गया। जिसमें न्यायालय का निष्कर्ष है कि वादगत भूमि पुश्तैनी है अथवा स्वअर्जित व हक–हिस्सा आदि का निर्धारण मूलवाद में मैरिट पर सुनकर किया जाना है एवं पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादगत भूमि के संबंध में मूलवादपत्र में अंतिम निस्तारण तक स्थगन जारी करना न्यायोचित है ताकि मुकदमेबाजी को बढ़ावा ना	

	मिले ताकि पक्षकारों को कानूनी पेचिदगियो का सामना ना करना पड़े इसलिए धारा 212 आरटीएक्ट के प्रावधानों एवं धारा 151 की में प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुवे मूलवाद के निस्तारण तक इस पत्रावली में चक 3 एमडब्ल्युएम के मु0नं0 111/11 के किला नं0 14 ता 15 सालम अ0क0, 16, 17 सालम, 18 में 10 बिस्वा, 23 ता 25 सालम कमाण्ड कुल तादादी 07.10 बीघा मयखाला क0/अ0क0 भूमि पर दिनांक 26.09.2019 को पूर्व में जारी अस्थाई निषेधाज्ञा (स्थगन) आदेश को मूलवाद के फैसले तक स्थाई किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न हो।	